(12)

बिहार सरकार
खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

अधिसूचना

जी0 एस0 आर0 ..... / पटना, दिनांक .....

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने जी0 एस0 आर0 संख्या 630 (ई0) दिनांक 31.08.01 द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 निर्गत किया है जिसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2001 के कंडिका-7 तथा जी0 एस0 आर0 संख्या 392 (ई0) दिनांक 29.06.04 द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण)(संशोधन) आदेश, 2004 सपठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा-3 के अनुसार भारत सरकार की पूर्व सहमति से, बिहार के राज्यपाल इसके द्वारा राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से संबंधित अनुज्ञप्ति जारी करने, निलंबित / रद्द करने, अनुज्ञप्ति के निबंधन एवं शर्त्तें, कार्यकलाप एवं अनुश्रवण करने के संबंध में निम्नलिखित आदेश देते है :-

अनुज्ञापन की प्रकिया

जन वितरण प्रणाली के अधीन उचित मूल्य की दुकान की नयी अनुज्ञप्ति एवं अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित समस्त कार्यकलाप अब ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001" के प्रावधानों के तहत नियंत्रित किए जायेंगे । जन वितरण प्रणाली विक्रेता के साथ अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा किये गये एकरारनामा को समाप्त कर इस आदेश के अन्तर्गत पुराने अनुज्ञप्तिधारी से अनुज्ञप्ति शुल्क लेकर प्रपत्र-II में विक्रेता को अनुज्ञापत्र छः माह के अंदर उपलब्ध कराया जायेगा । ''बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र-एकीकरण) आदेश, 1984" का कोई भी प्रावधान अब जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उचित मूल्य की दूकान पर लागू नही होगा ।

2. **अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु चयन समिति** :- नयी उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदन पत्र आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र-1 में सम्बन्धित अनुज्ञापन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जायेगा । अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की जॉच प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक से कराकर अपनी अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन जिला स्तरीय चयन समिति के विचारार्थ भेजा जायेगा । यह प्रक्रिया पुराने अनुज्ञप्तिधारी पर लागू नही होगी । उनके लिए कंडिका-1 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी । चयन समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

अध्यक्ष - जिला पदाधिकारी ।

सचिव - अनुभाजन क्षेत्र के लिए विशिष्ट पदाधिकारी प्रभारी अनुभाजन, पटना जिला के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति) तथा शेष सभी जिला के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी/प्रभारी जिला आपूर्ति पदाधिकारी ।

सदस्य - (i) सम्बन्धित अनुमंडल के अनुमण्डल पदाधिकारी ।

(ii) जिला में पदस्थापित अनुसूचित जाति/जन जाति के एक पदाधिकारी ।

(iii) जिला सहकारिता पदाधिकारी ।

चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जायेगी । नयी अनुज्ञप्ति के लिए पूर्व में विभाग का अनुमोदन प्राप्त किया जाता था । अब इसकी आवश्यकता नही रहेगी ।

2.1 चयन समिति द्वारा नया उचित मूल्य की दुकान की नियुक्ति के क्रम में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार किया जायेगा :-

(i) वर्ष 2001 ई0 के जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 1350 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 1900 की जनसंख्या पर दुकान को नियुक्त करने का प्रतिमान निर्धारित है ।

(ii) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उपभोक्ता को उचित मूल्य की दुकान तक पहुँचने के लिए अधिकतम दो किलोमीटर से अधिक की दूरी तय नहीं करना पड़े ।

(iii) दूरस्थ तथा कठिन आवागमन वाले स्थानों में खासकर अनुसूचित जाति/जन जाति के क्षेत्र में 1000 की आवादी पर भी एक उचित मूल्य की दुकान रखी जा सकती है ।

(iv) दुकान आवंटन में **आरक्षण** निम्न प्रकार होगा :-

अनुसूचित जाति	-	16 प्रतिशत
अनुसूचित जन जाति	-	01 प्रतिशत
अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	-	18 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग	-	12 प्रतिशत
पिछड़े वर्ग की महिलाएं	-	03 प्रतिशत

उपर्युक्त अनुसार आरक्षण का अनुपालन भविष्य में होने वाले रिक्तियों के अनुसार किया जायेगा ।

2.2 आरक्षण का मानक अनुमंडल स्तर पर लागू माना जायेगा ।

2.3 दुकान आवंटन में निम्नलिखित व्यक्तियों तथा संस्था को अनुकम्पा मामले को छोड़कर प्राथमिकता दी जायेगी :-

2.4 नयी अनुज्ञप्ति निर्गत करने के लिये प्राथमिकताएं निम्न प्रकार होगी -

(क) स्वयं सहायता समूह
(ख) ग्राम पंचायत
(ग) सहकारी समितियाँ
(घ) महिलाएं / महिलाओं की सहयोग समितियां
(च) पूर्व सैनिकों का सहकारी समितियां
(छ) विकलांग
(ज) शिक्षित बेरोजगार
(झ) संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(17)

2.5 **अनुकम्पा मामले** - प्राथमिकता के आधार पर मृत अनुज्ञप्तिधारी की पत्नी/पति, पुत्र, अविवाहिता पुत्री, पुत्रवधू, पुत्र की विधवा पत्नी को दुकान आवंटित किया जायेगा । उपर्युक्त में एक से अधिक आश्रित हो तो शेष से हक छोड़ने के लिये शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा । अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही उनके आश्रित द्वारा अनुकम्पा के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार किया जायेगा ।

2.6 **दुकान निम्नलिखित व्यक्तियों को आवंटित नहीं किया जायेगा** :-

(क) संयुक्त परिवार के कई सदस्यों के नाम से दुकान आवंटित नही किया जायेगा । परिवार की परिभाषा में निम्नलिखित सदस्य माने जायेंगे - माता, पिता, भाई, भाभी, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, सौतेला भाई । यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से मान्य होगा ।

(ख) मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, विधायक, सांसद, नगरनिगम एवं नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य के कार्यकाल तक ।

(ग) आटा-चक्की के मालिक

(घ) अवयस्क, पागल, विकृतचित, दिवालिया ।

(ड़) आवेदक को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का केन्द्रीय अधिनियम 10) के अधीन अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा दोषी पाये जाने पर भविष्य में उन्हें अनुज्ञप्ति नही दी जायेगी ।

(च) किसी सरकारी लाभ के पद पर पदस्थापित हो ।

2.7 **दुकान आवंटन के मामले में जनसंख्या एवं आरक्षण मापदंड का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा ।**

2.8 **अनुज्ञप्ति शुल्क, नवीकरण शुल्क एवं द्वितीयक अनुज्ञप्ति शुल्क** :-

(क) **अनुज्ञप्ति शुल्क** :- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अनुशंसित आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क के रूप में रू0 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किये जाने हेतु सूचित किया जायेगा । आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क जमा किये जाने के पश्चात् विहित प्रपत्र - II में आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति दी जायेगी । कंडिका-1 में उल्लिखित पुराने अनुज्ञप्तिधारी से भी अनुज्ञप्ति शुल्क रू0 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चलान के माध्यम से जमा कराया जायेगा और उन्हें प्रपत्र-II में नया अनुज्ञापत्र दिया जायेगा । पुराने अनुज्ञप्तिधारी को प्रपत्र-I में आवेदन पत्र देने की आवश्यकता नही होगी ।

(ख) **नवीकरण शुल्क** :- अनुज्ञप्ति का नवीकरण पाँच वर्ष के लिये किया जायेगा । अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु विहित प्रपत्र-III में आवेदन एवं नवीकरण शुल्क रू0 400/- (चार सौ) ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा करने पर अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अनुज्ञप्ति नवीकृत की जायेगी । नयी अनुज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से पांच वर्ष समाप्त होने पर इसका नवीकरण एक माह के अंदर किया